न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 260 / 2024

अनवान : –

1. धन्नाराम पुत्र जिसुख जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. देवीलाल पुत्र अमीलाल जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. मनीराम पुत्र गुरूदयाल जाति बांवरी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. लिछमण पुत्र गुरूदयाल जाति बांवरी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. लालचन्द पुत्र गुरुदयाल जाति बांवरी निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
6. सुनेर पुत्र गुरूदयाल जाति बांबरी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. धर्मपाल पुत्र हरिसिंह जाति बांवरी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. भागाराम पुत्र हरिसिंह जाति बांवरी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. राज़स्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. उप पजीयक नोहर तहसील नोहर।।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय

दिनांकः 28/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 202 / 195 के खसरा नं. 647, 648 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.5870 है० भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें सायल का 1 / 9 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

गैरसायल संख्या 1 ता 8 जो कि सायल की भूमि पर बुरी नियत रखते है तथा सायल की भूमि में जबरन काबिज होकर तथ्था सींव डोल तोड़कर अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त की भूमि में प्रवेश करके निर्माण करने की फिराक में है। सायल की कृषि भूमि जो कि आबादी के सटी हुई है एवं आबादी का जब ड्रोन से सर्वे किया तब वादी के चिपती हुई भूमि आबादी हो गई तथा आबादी के चिपते होने के कारण गैरसायलान आये सायल को तंग परेशान करते रहते है तथा जबरिया सायल की कृषि भूमि की सींव डोल तोड़ सायल की कृषि भूमि में प्रवेश करना चाहते है एवं सायल के साथ आये दिन लड़ाई झगड़ा रखते है। गैरसायलान जो कि काफी तेज तर्रार लोग है जो सायल की खातेदारी कृषि भूमि में जबरन प्रवेश करके सायल को तंग परेशान करते है तथा सायल के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करते है तथा सायल की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:28:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि पर काबिज होना चाहते है यदि गैरसायलान अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो सायल को भारी नुकशान होगा तथा मुकदमे बाजी बढ़ेगी इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 ता 8 जो जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है कि वे रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 202/195 के खसरा नं. 647, 648 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.5870 है० भूमि में प्रवेश कर सींव डोल नो तोड़े, किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 202/195 के ख0न0 647, 648 की कुल 7.5870हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई अप्रार्थीगण उक्त भूमि की सीवं व डोल को मिस्मार न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की यह आबादी भूमि थी जबकि ड्रोन सर्वे मे आबादी भूमि नही दिखाया गया है। गैरसायलान के सैकड़ो वर्षो से पुश्तैनी मकान आबाद है सायल उक्त भूमि में निर्मित मकानों पर काबिज होना चाहते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय न्यायालय आआरटी 2024 पेज न0 1405 व आरआरटी 2010 पेज न0 404 पेश किये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान अललोकन किया। पपत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों/सीवं व डोल का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि सायलान व गैरसायलान के नाम दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की भूमि आबादी के चिपते हुई है एवं गैरसायलान प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होकर निर्माण कार्य करना चाहते है एवं सींव व डोल को मिस्मार करना चाहते है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा हों, उक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होता है क्योंकि प्रार्थी, अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में अप्रार्थी को ही, पाबन्द करवाना चाहता है।। जब [illegible]या मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष [illegible] होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी [illegible]र्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:28:36 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 17.10.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:28:36 IST
Reason: SelfAttested